International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 14-02-2023, Accepted: 27-02-2023, Published: 01-03-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 104-106

प्रवासी भारतीयः नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं

सुनीता बघेले
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगवा, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
प्रवासी भारतीय उन लोगों को संदर्भित करते हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में पाई जा सकती है या भारतीय नागरिक हैं विदेश में रहना। इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) शामिल हैं। विदेश मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है। समिति ने पाया कि देश के विकास में उनके सामाजिक–आर्थिक योगदान के बावजूद, प्रवासी भारतीयों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय प्रवासी भारतीयों पर एक स्पष्ट नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करे जो समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा।

मूलशब्दः प्रवासी भारतीय, नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं

भारतीय प्रवासी उन लोगों को संदर्भित करते हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में पाई जा सकती है या भारतीय नागरिक हैं विदेश में रहना। इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) शामिल हैं। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने 3 अगस्त, 2022 को 'भारतीय प्रवासियों का कल्याणः नीतियां, योजनाएं' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे निम्न प्रावधान किये गये.

प्रवासी भारतीयों के लिए नीति

विदेश मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है। समिति ने पाया कि देश के विकास में उनके सामाजिक–आर्थिक योगदान के बावजूद, प्रवासी भारतीयों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय प्रवासी भारतीयों पर एक स्पष्ट नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करे जो समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा।

भारतीय प्रवासियों पर डेटाबेस

समिति ने पाया कि विदेश मंत्रालय के पास भारतीय प्रवासियों पर अद्यतन डेटा नहीं है, क्योंकि भारतीय दूतावासों के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है। ऐसे डेटाबेस के अभाव में, कल्याणकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। समिति ने सिफारिश की कि भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों को खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे मंत्रालय को कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक

समिति ने पाया कि उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2022 लंबे समय से परामर्श और जांच के अधीन है। इसका उद्देश्य एक उत्प्रवास ढांचा स्थापित करना, मंजूरी को उदार बनाना और विदेशी प्रवासियों के लिए कल्याण को मजबूत करना है। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय जल्द से जल्द विधेयक पेश करे।

शिकायत निवारण के लिए कई पोर्टल

विदेश में भारतीय नागरिकों की शिकायतों को हल करने के लिए ई–माइग्रेट और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जैसे कई पोर्टल मौजूद हैं। समिति ने कहा कि कई पोर्टल शिकायत समाधान में देरी कर सकते हैं और सिफारिश की है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इससे काम में दोहराव न हो। अधिकांश मामलों में शिकायतों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर संपर्क की आवश्यकता हो सकती है। समिति ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल राज्य सरकारों या जिला पुलिस के साथ बातचीत करने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन यह विदेशों में लोकप्रिय नहीं है। इसने सिफारिश की कि मंत्रालय पोर्टल का प्रचार–प्रसार करे ताकि शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

श्रमिकों का पुनर्वास

COVID–19 महामारी के दौरान, खाड़ी से लौटे लोगों सहित कई श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दीं। जैसे–जैसे महामारी कम हुई, कुछ श्रमिक विदेश में अपने रोजगार के स्थानों पर लौट आए हैं। समिति ने कहा कि जिन श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है या अपने रोजगार के स्थान पर लौटने में असमर्थ हैं, उनके लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पुनर्वास योजना की आवश्यकता है। इसने सिफारिश की कि मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ समन्वय में एक व्यापक पुनर्वास योजना का मसौदा तैयार करे।

संभावित प्रवासी श्रमिकों का कौशलीकरण

समिति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार अब पहले की आपूर्ति संचालित प्रणाली की तुलना में मांग आधारित हो गया है। जापान, कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी–एशियाई देशों में नए श्रम बाजार उभरने के साथ, संभावित प्रवासी श्रमिकों का कौशल विकास एक चुनौती है। समिति ने कहा कि गंतव्य देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, खासकर कोविड के बाद के युग में। इसने देश भर में घरेलू कौशल की गुणवत्ता में सुधार और पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने की सिफारिश की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी श्रमिक विदेश जा सकें और बेहतर मजदूरी के साथ रोजगार सुरक्षित कर सकें।

यूक्रेन और चीन में छात्र

यूक्रेन और चीन में पढ़ने वाले कई भारतीय मेडिकल छात्र COVID–19 के प्रकोप के कारण शारीरिक रूप से अपने पाठ्यक्रमों को फिर से शुरू करने या भारत में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने में असमर्थ थे। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि भारतीय निजी चिकित्सा संस्थान एक बार की छूट देकर यूक्रेन से लौटे छात्रों का नामांकन करें। चीन के मेडिकल कॉलेजों में नामांकित भारतीय छात्रों के संबंध में, समिति ने उन्हें भारत में अपनी इंटर्नशिप के शेष भाग को पूरा करने की अनुमति देने की सिफारिश की।

एनआरआई विवाह

समिति ने देखा कि एनआरआई विवाहों में महिलाओं को छोड़ दिए जाने के मामले बढ़ रहे हैं। अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 की समिति द्वारा जांच की गई और मार्च, 2020 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय अपना परामर्श पूरा करे और एनआरआई महिलाओं के लाभ के लिए एक कानून बनाए।

वन स्टॉप सेंटर

समिति ने पाया कि मंत्रालय ने संकटग्रस्त एनआरआई महिलाओं की मदद के लिए विदेशी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसने सिफारिश की कि योजना को बिना किसी देरी के शुरू किया जाए

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। शुरुआत में 2003 में शुरू की गई इस योजना को प्रवासी श्रमिकों के कवरेज को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के साथ 2006, 2008 और 2017 में संशोधित किया गया है।

योजना की अंतिम व्यापक समीक्षा सभी हितधारकों के परामर्श से 2017 के दौरान की गई है। संशोधित योजना पीबीबीवाई, 2017 1 अगस्त 2017 से चालू हो गई है। वर्तमान में, यह योजना रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है। आकस्मिक मृत्युध्स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये के बीमा प्रीमियम पर। 275 और रु. क्रमशः दो और तीन साल की अवधि के लिए 375। संशोधित योजना को पासपोर्ट श्रेणियों की परवाह किए बिना उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 2 (ओ) के तहत कार्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों के लिए भी अनिवार्य बना दिया गया है। पीबीबीवाई, 2017 में नियोक्ता और स्थान की परवाह किए बिना वैश्विक बीमा कवरेज भी शामिल है, ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा है और आकस्मिक मृत्युध्स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण के लिए एक सरल प्रक्रिया है। यह योजना अब प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक फायदेमंद है और इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

इसमें व्यक्ति को विदेश में रोजगार के दौरान आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण रोजगार खोने की स्थिति में 10.00 लाख रुपये की राशि का कवर दिया जाएगा, भले ही बीमित व्यक्ति के नियोक्ताध्स्थान में परिवर्तन हो। विदेश में भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता का प्रमाणीकरण बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। चोटध्बीमारीध्बीमारी सहित चिकित्सा बीमा कवर रु. 1,00,000/– (प्रति अस्पताल में भर्ती रु. 50,000 तक) तक उपलब्ध है। चिकित्सकीय रूप से अयोग्यध्रोजगार की समयपूर्व समाप्ति के लिए प्रत्यावर्तन कवरः भारत में निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वास्तविक एक तरफा इकोनॉमी श्रेणी का हवाई किराया। भारत में पारिवारिक अस्पताल में भर्ती रु. तक उपलब्ध है। जीवनसाथी और 21 वर्ष तक की आयु के पहले दो बच्चों के लिए 50,000/– रु. महिला प्रवासियों के लिए मातृत्व व्यय लाभ रु. तक उपलब्ध है। 50,000/–. प्रवासी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में एक परिचारक को निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वापसी इकोनॉमी श्रेणी के हवाई किराए की प्रतिपूर्ति। प्रवासी के विदेशी रोजगार से संबंधित मुकदमे पर कानूनी खर्च रुपये तक स्वीकार्य है। 45,000/–. पीबीबीवाई पॉलिसी के ऑनलाइन नवीनीकरण का प्रावधान।

प्रवासी भारतीयों के लिए पहल

प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) योजना पूर्व में जनवरी 2006 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी ताकि भारत में जीवन भर वीजा मुक्त यात्रा और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को कुछ आर्थिक शिक्षा शैक्षिक और सांस्कृतिक लाभ की सुविधा मिल सके। 30 जून 2011 तक, कुल 8,61,726 पीआईओ को ओसीआई के रूप में पंजीकृत किया गया है।

एनआरआई को मतदान का अधिकार

जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 पारित किया गया है जो विदेशी भारतीय पासपोर्ट धारकों को मतदान का अधिकार देता है। 3 फरवरी 2011 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें विदेशी मतदाताओं को उनके नाम उनके इलाके से संबंधित रोल में शामिल करने की अनुमति दी गई है, जिसमें उनके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उनका निवास स्थान स्थित है। विदेशी मतदाताओं को उक्त फॉर्म में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपेक्षित फॉर्म में सीधे संबंधित पंजीकरण अधिकारी को आवेदन करना होगा या डाक द्वारा आवेदन भेजना होगा।

प्रवासी श्रमिक संसाधन केंद्र

इच्छुक प्रवासियों को अनियमित प्रवास में शामिल जोखिमों और विदेशी रोजगार की तलाश करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने और विदेशी प्रवासियों को आवश्यकता आधारित जानकारी प्रदान करने के लिए एक ओवरसीज वर्कर्स रिसोर्स सेंटर (ओडब्ल्यूआरसी) – एक टोल फ्री 24•7 हेल्पलाइन स्थापित की गई है। यह हेल्पलाइन भारत के भीतर 100 11 1900 पर जानकारी प्रदान करती है। यह संयुक्त अरब अमीरात के सूचना चाहने वालों के लिए 8000911913 पर भी उपलब्ध है। दुनिया में कहीं से भी 91–11–40503090 पर हेल्पलाइन तक पहुंचा जा सकता है।

भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद

भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद आईओएम के साथ मिलकर कई परियोजनाएं शुरू कर रही है। ऐसी ही एक बड़ी परियोजना भारत के उत्तर–पूर्व राज्यों के संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल है। यह परियोजना असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सरकार के साथ मौजूदा समझौते के तहत आईओएम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

भारतीय समुदाय कल्याण कोष जो मूल रूप से सभी आईसीई देशों के लिए था, अब 48 देशों तक बढ़ा दिया गया है। चूँकि यह योजना भारतीय मिशनों द्वारा प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेषकर श्रमिकों और महिलाओं की पीड़ा को कम करने में बहुत उपयोगी पाई गई है, इसलिए इस निधि को दुनिया भर के सभी मिशनों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्था ओआईएफसी ने ''होमवार्ड बाउंड – प्रवासी भारतीयों के लिए एक नियामक और निवेश पुस्तिका'' संकलित की है, जिसे भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 7 से आयोजित 9वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान जारी किया गया था। 9 जनवरी, 2011, नई दिल्ली। यह दस्तावेज भारत के साथ प्रवासी भारतीयों की आर्थिक भागीदारी को और सुविधाजनक बनाएगा। केंद्र, भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के अपने प्रयास में, प्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जुड़ने के लिए अपने मंच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखता है।

प्रवासी भारतीयों का भारतीय विकास फाउंडेशन

प्रवासी भारतीयों का इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन एक गैर–लाभकारी ट्रस्ट है जो भारत के सामाजिक विकास में प्रवासी भारतीय परोपकार के लिए एक विश्वसनीय खिड़की प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। फाउंडेशन का प्रबंधन एक प्रतिष्ठित न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। फाउंडेशन का काम दानदाताओं और भारत में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले विश्वसनीय गैर–सरकारी और गैर–लाभकारी स्वैच्छिक संगठनों के बीच साझेदारी बनाकर प्रवासी भारतीयों की परोपकारी पूंजी को भारत के सामाजिक क्षेत्र में ले जाना है।

ज्ञान का वैश्विक भारतीय नेटवर्क

वैश्विक भारतीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार जिसे ग्लोबल–आईएनके कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमें भारत में सामाजिक विकास प्रयासों को उत्प्रेरित करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के पास मौजूद ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल के भंडार का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।

प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीयों की वैश्विक सलाहकार परिषद

मंत्रालय ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मूल के प्रतिष्ठित लोगों के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रधानमंत्री की वैश्विक सलाहकार परिषद का गठन किया है। प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीयों की वैश्विक सलाहकार परिषद की बैठक 7 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में हुई। परिषद के सदस्य 14 प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों ने बैठक में भाग लिया और प्रवासी भारतीयों की भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों के क्षेत्र में व्यापक सुझाव दिए।

ई–माइग्रेट परियोजना

मंत्रालय ने प्रवासन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और मानवीय बनाने के लिए प्रवासन पर एक व्यापक ई–गवर्नेंस परियोजना लागू करने का प्रस्ताव दिया है। परियोजना का अंतिम लाभ प्रवासी की अधिक सुविधा, प्रभावी सुरक्षा और बेहतर कल्याण होगा। सहायक लाभों में उत्प्रवासी संरक्षक (पीजीई) और उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) के कार्यालयों के कामकाज में अधिक से अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही, वास्तविक समय में अद्यतनीकरण और विश्वसनीय उत्प्रवासी डेटा तक त्वरित पहुंच, प्रबंधन शामिल होंगे। निर्णय लेने में सहायता के लिए सूचना प्रणाली, भर्ती एजेंट प्रणाली का कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन, प्रवासियों के संरक्षकों, भर्ती एजेंटों और नियोक्ताओं की प्रदर्शन रेटिंग, उत्प्रवास अपराधों की प्रभावी निगरानी, हितधारकों को आपस में जोड़ना और हितधारकों के बीच जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन। इस परियोजना से व्यक्तिगत विवेक, प्रवासियों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को कम करने की उम्मीद है। यह नीतिगत कार्यों, आवधिक प्रकाशनों और शिकायत निवारण के लिए उपयोगी उपकरण और डेटा भी प्रदान करेगा।

सन्दर्भ सुची

1. https://prsindia.org/policy/report-summaries/welfare-of-indian-diaspora-policies-and-schemes
2. https://www.mea.gov.in/pbby.htm
3. https://www.eoimadrid.gov.in/initiatives-for-overseas-indians.php